न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र
ग्राम पंचायत निमेडा

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 09/2010

रज्जु दिनांकः 08/04/2010

निर्णय दिनांक : 11/05 /2017

1. कान्ता देवी पुत्री प्रहलाद धर्मपत्नि स्व. घनश्यामदास जाति ब्राहम्ण, निवासीः मकान नंबर 346, चांदी की टकसाल, राजामल का तालाब, जयपुर।

2. सुशीला पुत्री प्रहलाद धर्मपत्नि वैद्य रमेश चन्द जाति ब्राहम्ण, निवासीः जोशी भवन, गणगौरी बाजार, हाई स्कूल के सामने, फुलेरा, जयपुर।

3. मोरध्वज पुत्र प्रहलाद राय जाति ब्राहम्ण, हाल निवासीः प्लॉट नंबर 1–ए, खेतडी हाऊस, पंचमुखी हनुमान की गली, चांदपोल बाजार, जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. वासुदेव पुत्र प्रहलाद

2. श्रवणलाल पुत्र प्रहलाद

3. गिर्राज पुत्र प्रहलाद

4. बनवारी पुत्र प्रहलाद

5. जगदीश पुत्र प्रहलाद

समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासीः गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

6. प्रहलाद पुत्र श्यामलाल जाति ब्राहम्ण, निवासीः गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

7. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

8. नायब तहसीलदार/पंजीयन अधिकारी माधोराजपुरा, उप तहसील माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

9. थार ग्रामीण बैंक शाखा डाबिच तहसील फागी, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

10. श्रीमती जडाव देवी धर्मपत्नि स्व. श्री दामोदर प्रसाद शर्मा पुत्री स्व. श्री श्याम लाल जाति ब्राहम्ण निवासीः गोपालपुरा तहसील फागी, हाल निवासीः अग्रसेन नगर, झोटवाडा, जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण/वादीगण ने एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिने की पूर्ण आशा है। विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 159 के खसरा नंबर 148, 155/2, 320 लगायत 323, 329, 407, 553, 557, 558, 577, 579, 637, 638, 641 लगायत 644, 651, 653, 655, 723, 942, 147, 640 कुल किता 26 कुल रकबा 33 बीघा 12 बिस्वा एवं खतौनी संख्या 160 के खसरा नंबर 654 रकबा 6 बिस्वा, खतौनी संख्या 164 के खसरा नंबर 331 रकबा 4 बिस्वा खतौनी संख्या 163 के खसरा नंबर 578 रकबा 7 बिस्वा, खतौनी संख्या 161 के खसरा नंबर 1332/1/1, 1333/1, 1333/2, 1348/2, 1349/2, 1350/1/1, 1351/1/1, 1354/2 कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा, खतौनी संख्या 162 के खसरा नंबर 261 रकबा 2 बिस्वा, खतौनी संख्या 161 में प्रतिवादी संख्या संख्या 6 का दर्ज हिस्सा 1/2 में से वादीगण 3/9 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का 6/9 हिस्सा एवं खतौनी संख्या 162 में प्रतिवादी संख्या 6 दर्ज हिस्सा 1/4 वादीगण का 3/9 प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का 6/9 हिस्सा वाके ग्राम गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें खतौनी संख्या 159 में प्रार्थीगण का 3/9 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का 6/9 हिस्सा वाके ग्राम गोपालपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है, जिसमे खतौनी संख्या 159 में प्रार्थीगण का 3/9 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का 6/9 हिस्सा एवं खतौनी संख्या 160 में अप्रार्थी संख्या 6 का दर्ज हिस्सा 1/2 व खतौनी संख्या 164 में अप्रार्थी संख्या 6 का सात आना खतौनी संख्या 163 में अप्रार्थी संख्या 6 का दर्ज हिस्सा पांच आना में प्रार्थीगण का 3/9 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का 6/9 हिस्सा खतौनी संख्या 161 में अप्रार्थी संख्या 6 का दर्ज हिस्सा 1/2 में से प्रार्थीगण 3/9 व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का 6/9 एवं खतौनी संख्या 162 में अप्रार्थी संख्या 6 दर्ज हिस्सा 1/4 प्रार्थीगण का 3/9 अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 का 6/9 हिस्सा अर्थात अप्रार्थी संख्या 6 के हिस्से में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला—जयपुर

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

लगायत 6 का बराबर बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है व सरकारी लगान जमा कराते आ रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं हिन्दू परिवार के व्यक्ति है एवं स्व. श्यामलाल के वंश के है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 भाई बहन है एवं अप्रार्थी संख्या 6 पिता है एवं स्व. श्यामलाल के वंश के है विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है एवं हिन्दू मुस्तका परिवार की सम्पत्ति है इसलिये कानूनन विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का हिस्सा बनता है एवं पैतृक सम्पत्ति एवं पूर्व सेटलमेन्ट में विवादग्रस्त आराजी श्यामलाल की खातेदारी की होने के कारण कानूनन प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्व. श्यामलाल की पोतीया है एवं प्रार्थी संख्या 3 पोता है एवं अप्रार्थी संख्या 6 की पुत्रीयां पुत्र है इसलिये कानूनन पैतृक सम्पत्ति में पुत्रीयां व प्रार्थीनी का हिस्सा बनता है एवं अपना हिस्सा कानूनन लेने के प्रार्थीगण अधिकारी है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 6 के नाम इन्द्राज है एव प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक हिन्दू परिवार के सदस्य है एवं स्व. श्यामलाल के वंश के है एवं परिवार में आपस में सद्भावना थी एवं राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 6 के नाम इन्द्राज हो गया जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से हिस्सेनुसार बांट कर काश्त कर रहे है एवं अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से की आराजी में काफी पैसा खर्च करके आराजी को उन्नत व उपज बना ली है इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 प्रार्थीगण से ईष्या रखते है एवं प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी को हडपना चाहते है इसलिये अप्रार्थी संख्या 6 को बहला फुसलाकर प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी को बेचान करने में आमादा है। अप्रार्थी संख्या 6 काफी वृद्व एवं विचारण व्यक्ति है एवं प्रार्थीगण के खिलाफ बना रखा है अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 अप्रार्थी संख्या 6 का वृद्व होने व सोचने समझने की बुद्वि का न होने का फायदा उठाकर आराजी का अप्रार्थी संख्या 6 से बेचान व वसीयत आदि कराने पर उतारू है जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल किया जा सके क्योकि प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण संख्या 1 लागयत 6 मनमुटाव रखते है एवं आराजी को लेकर आये दिन लडाई झगडा करते है। दिनांक 04/04/2010 को प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी को संभालने गांव गये तब अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 प्रार्थीगण से लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये एवं ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हारा इस आराजी में कोई हिस्सा नहीं है एवं इसे ऐसे व्यक्ति को बेचान करेगे जो तुम्हे तुम्हारे हिस्से से बेदखल कर देगा इसलिये प्रार्थीगण को अपने हितो की रक्षार्थ हेतु अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। विवादग्रस्त आराजी में कानूनन पुत्र व पुत्री व पोते व पोती का हिस्सा बनता है एवं अपने हिस्से की रक्षार्थ व खुर्द-बुर्द को रोकने हेतु प्रार्थीगण को परम आवश्यक हो गया कि अप्रार्थीगण को पाबंद कराया

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

जाये अगर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 अप्रार्थी संख्या 6 को बहला फुसलाकर अपने कार्य में सफल हो गये तो अप्रार्थीगण को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा एवं व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी एवं खर्चे से जेरबार होगे जिसकी क्षतिपूति की जाना असंभव होगा इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है एवं कब्जे काश्त की आराजी है एवं मुखालखाना कब्जा काश्त प्रार्थीगण का चला आ रहा है एवं खातेदारी की आराजी है इसलिये प्रार्थीगण का केस पाइमाफेसी केस है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत नहीं करे, न अन्य से करावे एवं आराजी से बेदखल व बेचान नहीं करे एवं रहन, बेय, मुन्तकिल नहीं करे।

पत्रावली दिनांक 08/04/2010 को रिपोर्ट होकर न्यायालय में प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित पाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि वादग्रस्त आराजी का विक्रय न करे।

दिनांक 27.15.2014 को प्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाते हुये इसी स्तर पर विड्रो करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर बाद मनन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 2 व 3 की सीमा तक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रो किया गया। दिनांक 28.04.2015 को आराजीयात के सह खातेदार अशोक, अविनाश ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 प्रस्तुत कर अपने हिस्से को स्थगन मुक्त करने का निवेदन किया। दिनांक 14.05.2015 को वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर स्वीकार किये जाने में अनापत्ति प्रकट की। दिनांक 08.09.2015 को प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। बाद मनन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अशोक, अविनाश के आराजीयात में हिस्से को स्थगन मुक्त किये जाने हेतु संशोधित तहरीर जारी करवाई गई। दिनांक 28.04.2016 को अप्रार्थी सं. 6 के विरूद्व न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 10.11.2016 को वकील अप्रार्थी संख्या 6 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 व जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 31.01.2017 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी, फागी (जयपुर)

गया। दिनांक 02.02.2017 ने अप्रार्थी संख्या 10 ने जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया, अप्रार्थी संख्या 10 का जवाब बंद किया गया।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील पक्षकारान उप0।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र, दावा पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 6 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने मूल वाद आराजीयात में खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया है। आराजीयात में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं इस बिन्दु का निर्धारण वाद के अंतिम निर्णय के समय किया जावेगा। प्रार्थी के अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखे, शेष अनुतोष खारिज किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/05/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट निमेडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)